Online RTI Appeal Form Details

Public Authority Details :-

* **Public Authority**	District Court Mirzapur

Personal Details:-

* **Name**	Mahima Maurya
Gender	Male
* **Address**	village Gonasar Sarpati , Post Kalna, police station Vindhyachal
Pincode	231303
State	Uttar Pradesh
Educational Status	Literate
Phone Number	Details not provided
Mobile Number	+91-7355543503
Email-ID	mahimamauryagonasar[at]gmail[dot]com
Citizenship	Indian
* **Is the Applicant Below Poverty Line ?**	No

First Appeal Details u/s 19(1) :-

Registration Number	DNMZP/A/2026/60002
Date of Filing	30/03/2026
Concerned Appellate Authority	Nodal Officer
Phone No	Details not provided
Email Id	Details not provided
* **Ground For Appeal**	Refused access to Information Requested

((Description of Information sought (upto 500 characters))

* **Prayer or Relief Sought**	BEFORE THE FIRST APPELLATE AUTHORITY, OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, MIRZAPUR, UTTAR PRADESH.Subject: First Appeal under Section 19(1) of the RTI Act, 2005 against the order of CPIO/Additional District and Sessions Judge (Court No. 01), Mirzapur.The appellant, Mahima Maurya, resident of Village Gonasar Sarpati, Post Kalna, Police Station Vindhyachal, Mirzapur, Pin 231303, with mobile number +91-7355543503, hereby submits this appeal. Under serial number 1, the details of the CPIO are Santosh Kumar Gautam, Central Public Information Officer and Additional District and Sessions Judge, Court No. 01, Mirzapur. Under serial number 2, the particulars of the order being appealed are the Rejection Order dated 27-01-2026 issued under RTI Registration Number DNMZP/R/2025/60048. Under serial number 3, the brief facts are that the appellant sought certified copies of Charge Sheet No. Nil/2025 dated 24-10-2025 and the Medical Board Report under Letter No. 607 dated 29-08-2025 regarding NCR No. 104/2024 at P.S. Vindhyachal. Under serial number 4, the CPIO rejected the application on 27-01-2026 by citing Rule 26 of the Allahabad High Court RTI Rules 2006, claiming the matter is pending adjudication and therefore not maintainable. Under serial number 5, the first ground for appeal is that the CPIO violated Section 4(1)(b) of the RTI Act by failing to provide the specific Judicial Case Number or the current status of the matter in the CJM Court. Under serial number 6, the second ground is that Rule 26 was misinterpreted to hide administrative case details that do not interfere with judicial deliberations. Under serial number 7, the third ground is that under Section 22 of the RTI Act, 2005, the Act has an overriding effect over inconsistent court rules, especially when a victim alleges the suppression of "Grievous Hurt" evidence by the police. Under serial number 8, the appellant prays that the First Appellate Authority set aside the CPIO''s order and direct the disclosure of the Judicial Case Number, the current stage of the case, and certified copies of the Medical Board Report and Charge Sheet as originally requested. Under serial number 9, the appellant declares that all information provided is true to the best of her knowledge. Place: Mirzapur Date: 30-03-2026(Mahima Maurya)
Supporting document ***((only pdf upto 1 MB))***	PDF Adobe

RTI Application Details u/s 6(1) :-

Registration Number	DNMZP/R/2025/60048
Date of Filing	13/12/2025
PIO of Public Authority approached	SANTOSH KUMAR GAUTAM
Designation	ADDITIONAL DISTRICT JUDGE
Phone No	9835552570
Email Id	dcmir@allahabadhighcourt.in
PIO Order/Decision Number	Details not provided
* **PIO Order/Decision Date**	

Print **Close**

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न० 01 मीरजापुर।

पत्रांक संख्या-08 सन 2026

प्रार्थिनी महिमा मौर्या के द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न के सम्बन्ध में जन सूचना माँगी गयी है।

प्रार्थिनी महिमा मौर्या द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर में लम्बित एन०सी०आर० संख्या- 104/2024 जो आरोप पत्र संख्या- Nil / 2025, थाना- विन्ध्याचल, मीरजापुर दिनांकित 24-10-2025 के संबंध में सूचना चाही गयी है।

सहायक जन सूचना अधिकारी मीरजापुर की आख्या के अनुसार,

1-माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा प्रतिपादित संशोधित नियमावली (जनसूचना का अधिकार) 2006 के नियम 26 के अनुसार,केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कोई आवेदन किसी नागरिक से ऐसे मामले की सूचना देने हेतु स्वीकार नहीं करेगा जो न्यायनिर्णयन हेतु माननीय उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित है, सूचना जो न्यायिक मामले से सम्बन्धित है वे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद विनियम, 1952 या साधारण नियम (सिविल/दांडिक) यथास्थिति विहित प्रक्रिया के अधीन प्राप्त किये जा सकते हैं।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) संशोधित नियमावली, 2006 के नियम 26 का उद्धरण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है जो यह उपबन्ध करती है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कोई आवेदन किसी नागरिक से ऐसे मामले की सूचना देने हेतु स्वीकार नहीं करेगा जो न्यायनिर्णयन हेतु उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित है, सूचना जो न्यायिक मामले से सम्बन्धित है वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय विनियम 1952, या सामान्य नियम (सिविल/दांडिक) यथास्थिति विहित प्रक्रिया के अधीन प्राप्त किये जा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा निर्गत संशोधित नियमावली (जन सूचना का अधिकार-2006) के आज्ञापक नियम 26 के आलोक में निरस्त किये जाने योग्य है।

तद्नुसार हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति नियमानुसार प्रार्थी को प्रेषित की जाये।

दिनांक-27--01-2026

27/1/2026

(संतोष कुमार गौतम)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट न० 01 मीरजापुर।

Details for registration number : GOVUP/E/2025/0133877

Name Of Complainant	**Mahima Maurya**
Date of Receipt	**26/11/2025**
Received By Ministry/Department	**Uttar Pradesh**
Grievance Description	

**TO,
The Most Respected **Director General of Police (DGP),**
Uttar Pradesh Police Headquarters,
Lucknow, Uttar Pradesh.**

****Through:** Proper Channel/Online Grievance Mechanism (Reference: **GOVUP/E/2025/0122171**)
Subject: Urgent Request for Intervention Against Submitting a Misleading Final Report and Compelling the Submission of Suppressed Medical Evidence in NCR No. 104/2024 (P.S. Vindhyachal).**

****Respected Sir/Madam,****

I, **Mahima Maurya, the victim and complainant in the referenced case, humbly submit this grievance regarding the partial and misleading report submitted by the local police, which prejudices the pursuit of justice.**

**A. Core Case Facts & Court Order**

The case involves **NCR No. 104/2024 (Under Sections 115(2)/352 BNS, P.S. Vindhyachal), based on a court order dated **09/06/2025** from the Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Mirzapur. The original medical reports from Tej Bahadur Sapru Hospital, Prayagraj, confirm a **Thumb Fracture** (Grievous Hurt). The investigation involved S.I. Jaishankar Ray (Former IO) and S.I. Raghavendra Rai (Current IO).**

**B. Facts of Misconduct and Suppression of Evidence**

The investigating officers have failed in their legal duty:

1. **Non-Return of Original Evidence:** The original medical evidence was taken by former IO, **S.I. Jaishankar Ray**, who failed to return it or formally transfer it.
2. **Submission of Misleading Charge Sheet:** Current IO, S.I. Raghavendra Rai, filed a **Charge Sheet (No. nil/2025 dated 24.10.2025)** under minor sections (BNS 115(2)/352) and falsely stated: "No corroborative evidence has been found in the investigation so far regarding the other allegations..." This statement deliberately omits or suppresses the known evidence of the grievous injury.
3. **Evasive Grievance Reply by CO:** The final action taken report submitted by the **Circle Officer (City, Shri Vivek Jawala)**, which closed the earlier grievance, was a repeated, generic reply that **failed to address the specific submission regarding the missing original evidence and its chain of custody.**

C. Proof of Suppressed Evidence (Medical Board Inquiry)

The suppressed evidence is verifiable:

* The matter was referred to a **Medical Board** (CMO, Mirzapur) vide **Letter No. Mu.C.Adhikari/Me.Bo./2025-26/607 dated 29.08.2025.**
* The original documents were physically presented to the Medical Board by S.I. Raghavendra Rai (as verbally confirmed by the IO to the Medical Board members).
* The **Medical Board has concluded its inquiry** and prepared a **Final Report** confirming the nature of the injury. This report is conclusive evidence of **Grievous Hurt** that the police have willfully failed to file in the Hon'ble Court.

Image of a formal medical report

D. Prayer/Request for Immediate Action

I humbly request your esteemed office to:

1. **Immediate Order for Supplementary Report:** Issue immediate and strict orders to the **Senior Superintendent of Police, Mirzapur,** to compel **S.I. Raghavendra Rai** to file a **Supplementary Charge Sheet** (under Section 173(8) BNSS) in the Hon'ble Court. This report must include:
    * The **Original Medical Treatment Documents** (Thumb Fracture X-Rays/Reports).
    * The **Final Report/Opinion of the Medical Board, Mirzapur**.
2. **Inquiry into Misconduct:** Order a high-level inquiry into the conduct of the **Circle Officer

(City) for submitting an evasive and misleading grievance reply, and into the officers responsible for suppressing evidence of 'Grievous Hurt' to protect the accused.**
3. **Provide Copies: Order the police to provide a free copy of the **Charge Sheet No. nil/2025** and all annexed documents to the applicant immediately.**

I trust that you will take swift and necessary action to ensure the full truth, including evidence of grievous injury, is placed before the Hon'ble Court for the proper framing of charges.

Current Status	**Case closed**
Date of Action	**08/12/2025**
Remarks	

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है महोदय, जाँच आख्या संलग्न है अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित

Officer Concerns To	
Officer Name	**Shri Arvind Mohan (Joint Secretary)**
Organisation name	**Government of Uttar Pradesh**
Contact Address	**Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow**
Email Address	**arvind.12574@gov.in**
Contact Number	**05222226350**

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांकः आईजीआरएस-12/2025

दिनांकः दिसम्बर 08 ,2025

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000250275283 दिनांक 27-11-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासिनी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

08/12

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद मीरजापुर।

<u>आईजीआरएस/सीएम हेल्पलाइन सन्दर्भ संख्या:</u> 60000250275283 **दिनांक- 05.12.2025**

1.	**शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो0नं0**	शिकायतकर्ता श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो0नं0- 9198010433 । 7355543503
2.	**विपक्षी का नाम पता व मो0नं0**	मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो0नं0- 9792677996 ।
3.	**जाँच अधिकारी का नाम, पद व मो0नं0**	अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मीरजापुर।
4.	**प्रकरण में FIR दर्ज है, तो FIR का पूर्ण विवरण**	आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल मे एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2),352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व शुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया।
5.	**विवाद की श्रेणी (जमीन/धरेलू/अपराधिक/अन्य विवाद)**	अन्य विवाद।
6.	**शिकायत / आरोप का संक्षिप्त विवरण**	विपक्षी द्वारा मार पीट करने के संबंध में।
7.	**आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान**	निल।
8.	**विपक्षीगण के बयान**	निल।
9.	**स्वतन्त्र साक्षी का बयान (नाम, पता, मो०नं०)**	निल।
10	**विवाद को लेकर पूर्व में अपराध हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो का पूर्ण विवरण जैसे FIR, NCR, 151/107/116CrPc अथवा170/126/135B.N.S.S आदि कार्यवाही**	निल।
11	**यदि प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित है तो मौके पर गयी संयुक्त टीम व राजस्व टीम का नाम व मोबाईल नम्बर व राजस्व कीआख्या सहित कृत कार्यवाही का परिणाम अंकित किया जाये**	निल।
12	**विवाद की दशा में धारा 107/116CrPc अथवा 126/135BNSS की कार्यवाही में कितनी धनराशि के मुचलकों से पाबन्द किया गया, धारा 117CrPc की पा बन्दी का आदेश संलग्न करे पूर्ण विवरण**	निल।
13	**विवाद को लेकर शरीर सम्बन्धी अपराध कारित हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण**	निल।
14	**प्रकरण में क्या वादी या किसी पक्ष द्वारा UP-112 को सुचित किया गया है या नहीं।**	निल।
15	**प्रकरण में धारा 151CrPc अथवा 170 BNSS की कार्यवाही एक पक्षीय या द्विपक्षीय की गयी तथा आरोपियों कोमजिस्ट्रेट के समक्ष किसी तिथि को प्रस्तुत किया गया।**	दोनो पक्षों का दिनांक 14-09-2024 170/126/135 BNSS की कार्यवाही की गयी है।
16	**प्रकरण के सम्बन्ध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है, तो मा०न्या० नाम/वादसंख्या/वाद की अद्यतन स्थिति पूर्ण विवरण।**	निल।
17	**जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक तथा गुगल शीट फोटो (अक्षांश देशान्तर सहित)...।**	25.165137 82.381023
18	**प्रार्थना पत्र पहली बार दिया गया है या पूर्व में दिया जा चुका है यदि पूर्व में दिया गया है तो उसका तिथिबार विवरण तथा परिणाम।**	अब तक कुल 30 प्रार्थना पत्र दे चुकी है 01-10-24 के 03,08-10-24 को01,08-10-24 को01, 22-10-24 को01,26-10-24 को01, 04-11-24 को01,15-11-24 को01, 27-11-24 को01, 05-12-24 को01, 14-12-24 को01, 23-12-24 को01, 03-01-25 को01,12-01-25 को01,17-01-25 को01 , 26-01-25 को01 , 29-01-25 को01,13-02-25 को01,05-03-25 को01,10-03-25 को01,01-04-25 के 02 ,16-04-25 का01 ,17-04-25 को01,20-04-25 को01 ,30-04-25 को01, 01-05-25 को01 ,02-05-25 को01 ,24-05-25 के 02
19	**प्रकरण में यदि कोई समझौता हुआ है तो समझौते की प्रति संलग्न करे।**	निल
20	**धोखाधड़ी के मामलों में पैसे लेने का पूर्ण विवरण निल।**	निल
21	**जमीनी बैनामा धोखाधड़ी में तहसील रजिस्टर्ड कार्यालय से आख्या प्राप्त करके अपलोड करें।**	निल
22	**मोबाईल चोरी/गुम हो जाने के प्रकरण में सर्विलांश शाखा को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें**	निल
23	**पति-पत्नी सम्बन्धी घरेलू विवादों में सुलह समझौता मध्यस्थता केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति सलग्न कर पूर्ण विवरण अंकित करें।**	निल

24	जाँच आख्या / विवरण / सारांश .	सन्दर्भित शिकायती प्रार्थना पत्र की जांचक्रम में थाना विन्ध्याचलव व कार्यालय क्षेत्राधिकारी नगर से जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि शिकायतकर्त्री श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर की मूल निवासिनी है। आवेदिका के पति प्रमोद कुमार व विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा आपस मे सगे भाई है जिनके मध्य पुरानी रंजीश को लेकर आपस मे दिनाँक 14.09.2024 को मार पीट किया गया था। जिसके संबंध में आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल मे एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2),352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व शुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया जबकि इसी घटना के संबंध मे विपक्षी सरोजा देवी की तहरीर पर आवेदिका महिमा कुशवाहा व उनके पति प्रमोद कुमार के विरुद्ध थाना विन्ध्याचल में एनसीआर संख्या 105/2024 अन्तर्गत धारा 115(2), 352 बीएनएस दर्ज कराया गया है। जाँच के क्रम मे उभयपक्षों के विरुद्ध दिनाँक 14.09.2024 को निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया। था। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका द्वारा असंतुष्ट फीडबैक दिये जाने व राज्य महिला आयोग लखनऊ सहित अन्य उच्चाधिकारीगणों को उक्त एनसीआर के सम्बन्ध में बार-बार आवेदन दिये जाने पर पुनः परीक्षण एवं उच्चाधिकारीगणों से प्राप्त निर्देश के क्रम में थानाध्यक्ष विन्ध्याचल को उक्त एनसीआर की विवेचना किये जाने हेतु मा0न्यायालय से आदेश प्राप्त कर विवेचना किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। थानाध्यक्ष विन्ध्याचल द्वारा दिनांकः 05-06-2025 को अन्तर्गत धारा 175 (3) बीएनएस आदेश मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर को प्रेषित रिपोर्ट के माध्यम से एनसीआर नं0-104/2024 धारा- 115(2)/352 बीएनएस की विवेचना किये जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ। आदेश के क्रम में विवेचना उ0नि0 राघवेन्द्र राय थाना विन्ध्याचल द्वारा सम्पादित करते हुए गुण दोष के आधार पर अभियुक्त मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र राम बली व शुभम कुशवाहा पुत्र मनोज कुशवाहा के विरुद्ध धारा 115(2)/352 बीएनएस मे आरोप पत्र संख्या nill/2025 दिनांक 24.10.2025 को मा० न्यायालय प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका के प्रार्थना पत्र में अंकित मोबाइल नं0- 9198010433 पर संपर्क करने पर आवेदिका के पति श्री प्रमोद कुमार द्वारा फोन रिसिव कर बताया गया कि उनके प्रकरण में सही से कार्यवाही नही हुई है तथा प्रमोद मौर्य द्वारा उपलब्ध कराये गये मो0नं0- 7355543503 पर वार्ता करने पर आवेदिका उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसके प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नही हो रही है। आवेदिका को बताया गया कि उनके प्रकरण में विवेचक द्वारा विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र राम बली व शुभम कुशवाहा पुत्र मनोज कुशवाहा के विरुद्ध धारा 115(2)/352 बीएनएस मे आरोप पत्र संख्या nill/2025 दिनांक 24.10.2025 को मा० न्यायालय प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में अग्रिम जानकारी मा0 न्यायालय से प्राप्त करते हुए मा0 न्यायालय से चाराजोई करके अनुतोष प्राप्त करें। आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

पत्र संख्या- एसटी-अ0पु0अ0नगर-आईजीआरएस /2025
दिनांक- दिसम्बर, ,2025

अपर पुलिस अधीक्षक नगर
मीरजापुर।